महत्वपूर्ण एवं खास

प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर पांच कलेक्टर्स से चर्चा करेंगे

रायपुर (आरएनएस)। 20 मई सुबह 11 बजे पीएम मोदी बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर - चांपा, बलौदाबाजार - भाटापारा के कलेक्टर्स से वर्चुअल चर्चा करेंगे। राज्य में कोरोना की स्थिति इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों और समाधान के लिए जीलाधीशों से जानकारी लेंगे। इस चर्चा में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा के कलेक्टर भी शामिल होंगे।

एयर इंडिया के विशेष विमान से वैक्सीन की खेप पहुंची रायपुर

■ **खेप में 6 लाख 44 हजार 410 वैक्सीन**

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में टीका की किल्लत के बीच राहत भरी खबर सामने आ रही है। वैक्सीन की खेप रायपुर एयरपोर्ट पहुँच चुकी है. खेप में 6 लाख 44 हजार 410 वैक्सीन है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों की वैक्सीन एक साथ रायपुर पहुंची है. रायपुर एयरपोर्ट से कोविशील्ड की खेपरिसीव कर ली गई है. राज्य सरकार की 2 लाख 97-हजार 110 वैक्सीन है. ये वैक्सीन 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी. खेप में केंद्र की 3 लाख 47 हजार 300 कोविशिल्ड वैक्सीन भी शामिल है. ये वैक्सीन 45 से अधिक उम्र के लोगों को लगेगी। साथ ही 18 साल से अधिक एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर को लगेगी।

गोहत्या कर मांस का वितरण कर रहे आरोपी गिरफ्तार

बीजापुर (आरएनएस)। जिला मुख्यालय के पुजारी पारा में कुछ लोग गोहत्या कर उसका मांस का वितरण कर रहे थे। इसकी भनक बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लगते ही वे मौके पर पहुंच गये, इससे पहले उन्होंने पुलिस को भी घटना से अवगत करवा दिया था। पुलिस मौके पर पहुंचकर गोहत्या के 10 आरोपियों को रंगे हाथ गोमांस के साथ गिरफ्तार कर कार्यवाही कर रही है। उल्लेखनिय है कि छत्तीसगढ़ में गौहत्या निरोधक कानून लागू है जिसमें गौ वंश की हत्या पर 03 से 07 साल की जेल और 50 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद भी कुछ क्षेत्रों में गौहत्या रुक नहीं रही है।

प्रेशर कुकर बम के साथ 2 नक्सली गिरफ्तार

नारायणपुर (आरएनएस)। जिले में डीआरजी, जिला बल, छसबल, एसटीएफ, आईटीबीपी द्वारा लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान में कुरुषनार थाना से जिला पुलिस बल की टीम सर्चिंग पर बासिंग की ओर रवाना हुई थी, कोडोली पुलिया के पास कुछ संदिग्ध व्यक्तियो को घेराबंदी कर गिरफ्तारी के बाद पूछताछ करने पर अपना नाम सुखदेव ध्रुव पिता दसरू उम्र 24 झारावाही जनमिलिशिया सदस्य एवं लखनलाल नुरेटी पिता स्व.आयतु उम्र 27 झारावाही जनताना सरकार सदस्य होना बताया। इनकी तलाशी लेने पर साथ में रखे झोला से 01 नग प्रेशर कुकर बम बरामद किया गया है।

बेहतर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण और उपचार से छत्तीसगढ़ ने कोरोना पर कसी नकेल, संक्रमण दर में तेज गिरावट, 30 प्रतिशत से उतरकर अब 12 प्रतिशत हुई

» राज्य में हर रोज प्रति दस लाख आबादी पर 2197 टेस्ट, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 1245 ही

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ राज्य बेहतर टेस्टिंग, ट्रेसिंग, टीकाकरण और उपचार से कोरोना पर नकेल कसने में कामयाब हुआ है। राज्य में हर रोज प्रति दस लाख आबादी पर 2197 टेस्ट किए जा रहे है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 1245 ही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सतत् मॉनिटरिंग और निर्देशन से अब 39 लैबों में ट्रूनाट और 15 में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा मुहैया करायी जा ही है। इसके साथ ही आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए बलौदाबजार, दुर्ग, दंतेवाड़ा, जांजगीर-चांपा, जशपुर और कोरबा में 6 नये शासकीय लैब और तैयार हो रहे है। एंटिजन टेस्ट राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों स्तर तक उपलब्ध है जबकि प्रत्येक जिले में अतिरिक्त मशीन प्रदाय कर टूऊाआ लैब की जांच क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। कोरोना संक्रमण के लिए राज्य में किए जा रहे प्रयासों से संक्रमण दर में तेज गिरावट आयी है, अप्रैल में जो संक्रमण दर 30 प्रतिशत के करीब थी वह उतरकर अब 12 प्रतिशत हो गई है। पिछले साल जहां कोविड संक्रमित मरीज पर औसत 4 से 4 कॉटेक्ट्स को ही टेऊक्र किया जा रहा था वहीं अब हर कोविड मरीज के 7 संपर्कों की तलाश और उनकी जांच सुनिश्चित की जा रही है जिससे संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिली है।

प्रदेश में वर्तमान में 1063 कॉटेन्मेंट क्षेत्र घोषित किये गए हैं जहां घर-घर जाकर टेस्टिंग की जा रही है। राज्य में 6 मेडिकल कॉलेज और एम्स रायपुर सहित 37 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल तथा कुल 154 कोविड केयर सेण्टर बनाए गए हैं इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक जिले में डेडिकेटेड कोविड अस्पताल भी बनाए गए है। शासकीय डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में 5294 बेड तथा कोविड केयर सेण्टर में 16405 बेड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। निजी कोविड अस्पतालों में 9 हजार 596 बेड उपलब्ध कराए गए है। इसके साथ ही कुल 1151 वेटिंलेटर उपलब्ध कराए गए है जिसमें 526 शासकीय और 625 निजी अस्पतालों में है।

ऑक्सीजेनेटेड बेड की संख्या बढ़ाये के लिए राज्य में 18 नए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स स्थापित किये गए हैं इसके अतिरिक्त 6 प्लांट्स प्रक्रियाधीन हैं इनमे से 3 प्लांट अगले एक सप्ताह में स्थापित हो जायेंगे। रायपुर मेडिकल कॉलेज में एक विशेष टेलीकंसल्टेशन हब स्थापित किया गया है जिसके माध्यम से मई 2020 से कॉलेज के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक दिन सभी शासकीय डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क स्थापित कर उन्हें टेलीकंसल्टेशन प्रदान किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर टेली राउंड भी लिए जाते हैं।

वर्तमान में सामान्य मरीजों की सुविधा के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में वर्चुअल ओ.पी.डी. की सुविधा भी प्रारंभ की गई है। यह सुविधा प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से 11:30 बजे तक उपलब्ध है। इस दौरान मेडिसिन विभाग, पल्मोनरी मेडिसिन विभाग एवं मनोरोग विभाग के विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सकीय परामर्श दिया जाएगा। भविष्य में मरीजों की संख्या बढ़ने पर अन्य विभागों के चिकित्सक भी उपलब्ध रहेंगे। लिंक के माध्यम से वर्चुअल ओ.पी.डी. ज्वाइन की जा सकती है।

छत्तीसगढ़ में अब तक 7.72 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं जिसमें से 1.38 लाख अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तथा 6.34 लाख मरीजों ने होम आइसोलेशन की अवधि पूरी की है। होम आइसोलेटेड मरीजों की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में कण्ट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है।

छत्तीसगढ़ पहुचेंगा मानसून सही समय पर, बस्तर में प्रवेश होगा 10 जून को

रायपुर (आरएनएस)। केन्द्रीय मौसम विभाग द्वारा जारी अनुमान के अनुसार इस वर्ष भी देशभर में मानसून सामान्य रहने की संभावना है। जारी अनुमान के अनुसार नियमानुसार इस वर्ष भी मानसून समय पर एक जून को केरल तट में पहुचेगा। इसके बाद मानसूनी हवाएं तटवर्ती राज्यों को छूते हुए छत्तीसगढ़ में बस्तर के रास्ते 10 जून को प्रवेश करेंगी। 01 जून से 9 जून के मध्य प्री-मानसून वर्षा होने से प्रदेश के पहाड़ी एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में मौसम खुशनुमा रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में इस साल 10 जून को मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया है 10 जून को जगदलपुर पहुंचने के बाद 15 जून को यह रायपुर पहुंच सकता है। देश में सबसे पहले मॉनसून केरल में पहुंचता है। इस साल इसके 31 मई को केरल पहुंचने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर अब भी गरज चमक के साथ बारिश व कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। 15 जून को राजधानी रायपुर में मॉनसून की आमद हो सकती है। रायपुर में मौसम वैज्ञानिक एच पी चंद्रा ने कहा कि 10 जून को जगदलपुर पहुंचने के बाद मॉनसून के 21 जून को अंबिकापुर पहुंचने की संभावना है। उनका कहना है कि चक्रीय चक्रवाती घेरा विदर्भ के ऊपर 1.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी का आगमन जारी है। इससे प्रदेश में एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह में 81301 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए

» प्रदेश की रिकवरी दर बढ़कर 86 प्रतिशत हुई, सप्ताह भर में पॉजिविटी दर 20 प्रतिशत से 12 प्रतिशत पर पहुंची

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह (8 मई से 14 मई) में 81 हजार 301 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। यह इस दौरान प्रदेश में मिले नए कोरोना संक्रमितों से 11 हजार 493 अधिक है। राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रभावी उपायों से रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। अभी प्रदेश की रिकवरी दर 86 प्रतिशत पर पहुंच गई है। पॉजिविटी दर में भी दिन-प्रतिदिन गिरावट आ रही है। पिछले सप्ताह की शुरूआत में 8 मई को प्रदेश की पॉजिविटी दर 20 प्रतिशत थी, जो घटते-घटते 14 मई को 12 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए सैंपल जांच की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। बीते सप्ताह कुल चार लाख 41 हजार 276 सैंपलों की जांच की गई। इस दौरान रोजाना औसतन 63 हजार 034 सैंपलों की जांच की गई है। प्रदेश में पिछले सप्ताह कोरोना से ठीक हुए 81 हजार 301 मरीजों में से 76 हजार 767 ने होम आइसोलेशन में तथा चार हजार 534 ने कोविड अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटर्स में इलाज कराकर कोरोना को मात दी है। इस दौरान 8 मई को 11 हजार 641, 9 मई को 12 हजार 810, 10 मई को 12 हजार 567, 11 मई को 12 हजार 440, 12 मई को 9035, 13 मई को 12 हजार 274 और 14 मई को दस हजार 444 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरूआत से लेकर अब तक सात लाख 72 हजार 500 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इनमें संक्रमण के हल्के या बिना लक्षण वाले छह लाख 34 हजार 133 लोग होम आइसोलेशन में इलाज कराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक लाख 38 हजार 367 मरीज कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में उपचार के बाद ठीक हुए हैं।

कोरोना को शिकस्त देने वाले 82 प्रतिशत मरीजों ने होम आइसोलेशन में उपचार लिया है। बीते सप्ताह के दौरान 8 मई को प्रदेश की पॉजिविटी दर 20 प्रतिशत, 9 मई को 19 प्रतिशत, 10 मई को 18 प्रतिशत, 11 मई को 15 प्रतिशत, 12 मई और 13 मई को 14-14 प्रतिशत तथा 14 मई को 12 प्रतिशत रही है।

तेंदुआ ने मासूम को बनाया शिकार, बच्चे की दर्दनाक मौत

धमतरी (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नगरी इलॉके में अपने दोस्तों के साथ जंगल पहाड़ी की ओर चार खाने गए मासूम बच्चे को जान गवानी पड़ी। उस क्षेत्र में मौजूद तेंदुआ ले हमला कर उसे घायल कर दिया नगरी अस्पताल लाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। तेंदुआ के हमले से पहली बार उस क्षेत्र में किसी इंसान की मौत हुई है अब तक जानवरों को ही घायल किया करता था। वन विभाग की टीम अस्पताल पहुंच गई है।

मिली जानकारी के अनुसार थाना-नगरी के सड़कपारा मुकुंदपुर के कुछ लोग लकड़ी के लिए जंगल की ओर गए थे। जिसमें यही का निवासी आशीष 8 वर्ष पिता विशंभर अपने दोस्तों के साथ भी गया हुआ था। लकड़ी वाले वापस लौट रहे थे। आशीष अपने दोस्तों के साथ चार खाने रुक गया ।दोस्त आगे चल रहे थे यह थोड़ा पीछे हो गया, तभी तेंदुआ ने उस पर हमला कर उसे ले गया। उसके दोस्त भागते गांव पहुंचे और लोगों को इसकी जानकारी दी। सभी ग्रामीण अगस्त्य ऋषि आश्रम की तरफ दौड़े, तो देखा तेंदुआ बच्चे को पकड़ा हुआ था। शोर मचाने के बाद तेंदुआ भाग खड़ा हुआ। घायल आशीष को तुरंत नगरी अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही रेंजर जी एस परमार, डिप्टी रेंजर गोपाल वर्मा सहित वन विभाग की टीम पहुंच गई।

प्रशिक्षु आईफएस और नगरी रेंज के एसडीओ आलोक बाजपेई ने बताया कि इस क्षेत्र में बीच-बीच में तेंदुआ की जानकारी मिलती थी। अब तक जानवरों का ही शिकार करते थे,यह पहली घटना है जब किसी इंसान का शिकार किया गया है। उन्होंने बताया कि मुआवजाका प्रकरण बनाकर भेजा जा रहा है। जल्दी उस परिवार को छह लाख की राशि दी जाएगी ।वन विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। डीएफओ सतोविशा समाजदार और वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि गर्मी के दिनों में जंगली जानवर आक्रमक होते हैं और पानी की तलाश में वे निकलते हैं इसलिए ग्रामीण जंगलों की ओर न जाएं।

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी के बाद आज रायपुर जिला कलेक्टर ने जहां राजधानी में व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अतिरिक्त छूट देने के साथ लॉकडाउन को 31 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है, वहीं रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट के यात्रियों को भी राहत देते हुए कोई भी पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यानी यात्रियों की टिकट ही उनका ई-पास मान्य होगा। रायपुर जिला कलेक्टर जारी आदेश में कहा है कि रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथा प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे, टेलीकॉम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों-चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप मान्य किया जायेगा।

पेज 4 का शेष...

रायगढ़ जिला संपूर्ण क्षेत्र अब 31 मई तक रहेगा लॉकडाउन

चॉइस सेंटर में सीजी टीका पोर्टल में पंजीयन हितग्राही द्वारा अपना पहचान पत्र-राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लायसेंस साथ लाकर कराया जा सकता है। चॉइस सेंटर में फेस मास्क के उपयोग तथा सोशल/फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जावे।

कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को अपरान्ह 04.00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। (रविवार को छोड़कर)

शहर के आउट साइड या हाइवे पर स्थित ट्रक मरम्मत की दुकान, स्पेयर पाट्र्स की दुकान एवं टायर, ट्यूब की दुकान प्रातः 08.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक वाहन मरम्मत/पंचर सुधार के संचालन की अनुमति होगी। (रविवार को छोड़कर)

आटा चक्की दुकान के संचालन की अनुमति प्रात 08.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक होगी। (रविवार को छोड़कर)

सब्जी, फल, अंडा, मछली, मांस, पोल्ट्री उत्पाद एवं किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 06.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर्स/ठेले वालो/पिक-अप/मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा पात्र व्यक्तियों को कोविड-19 वेक्शीनेशन कराना अनिवार्य होगा। दुकान खोलकर विक्रय की अनुमति नही होगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानो को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी।

को-मार्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यटी से छूट देते हुए पोस्ट आफिस/बैंको को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टॉफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त प्रकार के लेन-देन सहित कार्यालय प्रातः 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी।

ई-कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे एमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी अपरान्ह 04.00 बजे तक ही की जा सकेगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय 10.00 से 04.00 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।

दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा सामाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 से संध्या 07.30 बजे तक ही होगी। पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पषुओं को पशुचारा विक्रय हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।

औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साईट कार्यो के संचालन हेतु अनुमति रहेगी किन्तु श्रमिको की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।

पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी दुकाने निर्धारित समयावधि हेतु खुल सकेगें किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होमडिलीवरी को प्राथमिकता देवें।

शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी रायगढ़ द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनका ई-पास होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में रायगढ़ जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/पोस्टल/टेलीकॉम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 या वेक्सीनेशन ड्यूटी में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/ चिकित्सों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जावेगा।

दिन रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पशु चिकित्सालय, पेट्रोल पंप तथा गैस एजेंसिंया, पी.डी.एस एवं उपरोक्तानुसार अपने निर्धारित समयावधि में दुग्ध वितरण एवं न्यूज पेपर की अनुमति होगी। आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिफ्ट में औद्योगिक ईकाईयों का प्रचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गो पर लोगों और समानो की आवाजाही, कार्गो की लोडिंग और अन-लोडिंग तथा बसों, रेलगाड़ियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा, बिन्दु क्रमांक 2-7 एवं 10, अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकाने, स्वास्थ्य एवं आपातकालीन सेवायें भी शामिल है, को छोड़कर शाम 05.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक जिले में लोगो की आवाजाही कड़ाई से निषिद्ध रहेगी।

सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण अथवा विक्रय हेतु मास्क रखना तथा दुकान संचालन एवं दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहको के उपयोग हेतु सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जॉच तथा कोविड-19 वेक्शीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेसन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।

कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/ विधिमान्य परिचय-पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आवागमन की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुऐ चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देषों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।

यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण/यातायात),मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियों पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावें।